

पी0-1/04-09-06-2025/125

पटना, दिनांक- 28/03/2025

पुलिस मुख्यालय आदेश सहपठित ज्ञापांक 424/पी0-1 दिनांक 28.02.2014 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह को पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की कोटि में आदेश निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गई थी। इसी क्रम में श्री सिंह के विरुद्ध नालंदा जिला विभागीय कार्यवाही संख्या 06/14 के लंबित रहने की बात संज्ञान में आने पर उन्हें पु0नि0 की कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति को रद्द कर दिया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालनोपरान्त 03 काला दाग का दण्ड अधिरोपित किया गया था। दण्ड का प्रभाव समाप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय पर्षद से प्राप्त मनोनयन पर महनिदेशक पर्षद द्वारा विचार करने के पश्चात् श्री सिंह को दिनांक 12.08.2016 के प्रभाव से प्रोन्नति दी गई।

इसी क्रम में श्री सिंह द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या 6530/2017 दाखिल किया गया। उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के माध्यम से गठित आरोप पत्र, सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही में पारित दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया।

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 12.08.2016 की प्रभावी तिथि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि को पूर्व प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 28.02.2014 में Shift back करते हुए पुलिस निरीक्षक कोटि में अपनी वर्तमान वरीयता क्रमांक 1506 को संशोधित करते हुए वरीयता क्रमांक 1145(क) निर्धारित करने एवं तदनुसार पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4625/2024 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.03.2024 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

That this is an application for issuance of a writ in the nature of mandamus commanding and directing the respondent authorities to reinstate the original place of seniority as seniority No. 3991 of the petitioner in seniority list and also give consequential benefits including promotion to the rank of Dy.SP for which petitioner is legally entitled too as his junior has been granted promotion and further for issuance of any other appropriate writ/writs, order/orders it may deem fit and proper.

2. At the outset, the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to approach the Director General of Police, Bihar for redressal of his aforesaid grievances. Liberty, so sought, is granted.

3. It is needless to state that in case appropriate representation is filed, within a period of two weeks from today, the Director General of Police, Bihar shall dispose off the same by passing a reasoned and a speaking order, in accordance with law, within a period of six weeks, thereafter.

उक्त न्यायादेश के आलोक में पु0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय में एतदर्थ अभ्यावेदन समर्पित किया गया। तदनुसार समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सहपठित ज्ञापांक 5066 दिनांक 11.04.2019 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक रहने के कारण इनके द्वारा प्रोन्नति की तिथि को Shift back करने संबंधी अभ्यावेदन पर भविष्य में प्रोन्नति एवं प्रोन्नति समिति की बैठक पर लगी रोक हटने के उपरान्त इनके मामले पर विचार किया जाएगा, के संबंध में पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक 1044/एक्स0पी0-2 दिनांक 02.07.2024 द्वारा सकारण आदेश निर्गत किया गया।

उक्त निर्गत सकारण आदेश को श्री सिंह द्वारा MJC No. 2612/2024 में चुनौती दी गई। तदनुक्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा कारण पृच्छा दायर किया गया। तदोपरान्त उक्त MJC में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2025 को आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

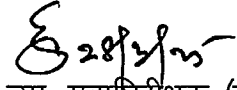
This Court has been taken to the order dated 02.07.2024, passed by the Inspector General of Police (Headquarters), Bihar, Patna, from which it is apparent that the same has not taken into account the effect of Asthayi Sthanapan Karyakari Vyavastha Niyamavali, 2023, hence the same is held to be perverse and the show cause filed by the opposite parties is rejected.

The Director General of Police, Bihar, Patna is directed to take fresh steps for compliance of the order of this Court dated 22.03.2024, passed in C.W.J.C. No.4625 of 2024 and report compliance to this Court, within a period of six weeks from today.

उक्त MJC में पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में श्री सिंह के प्रोन्नति की तिथि को Shift Back करने के संबंध में महानिदेशक पर्वद (विभागीय प्रोन्नति समिति) की बैठक आहूत की जा सकती है अथवा नहीं, के संबंध में प्रशासी विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गई। प्राप्त परामर्श के आलोक में दिनांक 28.03.2025 को महानिदेशक पर्वद की बैठक आहूत की गई। महानिदेशक पर्वद द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से श्री सिंह के प्रोन्नति की तिथि को Shift Back करते हुए तदनुसार वरीयता पुनर्निर्धारित की जाती है :-

क्र०	पुलिस पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	पुलिस निरीक्षक की कोटि में दी गई प्रोन्नति की तिथि	Shift Back के पश्चात् संशोधित प्रोन्नति की तिथि	पुनर्निर्धारित वरीयता
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजय कुमार सिंह	1506	12.08.2016	28.02.2014	1145(क) श्री मदन प्रसाद (1145) के नीचे और श्री रमेश कुमार मिश्रा (1146) के ऊपर

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

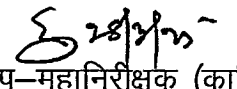

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञापांक-पी0-1 / 04-09-06-2025 / 125

पटना, दिनांक-28/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी को आदेश की एक प्रति उपलब्ध करायेंगे।
2. प्रशाखा पदाधिकारी, एक्स0पी0-2 प्रशाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना